<u>महिलाओं के लिए सुरक्षित पंचायत</u>

तारीख़: 8 दिसम्बर, 2020
प्रतिभागियों की संख्या: 34

परिचय : मार्था फैरेल फाउंडेशन और रिसोर्स एंड सपोर्ट सेंटर फॉर डेवलपमेंट (RSCD) के एक कैंपेन (महिला राजसत्ता आन्दोलन) के तहत महिलाओं के लिए सुरक्षित पंचायत के मुद्दे पर ऑनलाइन बैठक हुई | जिसमें दोनों संस्थान के कर्मचारियों के अलावा, महाराष्ट्र के विभिन्न जिलों के पंचायतों में चुनी गई महिला प्रतिनिधि भी शामिल थीं | पंचायत में चुनी गई महिला प्रतिनिधियों के साथ उनके कार्यस्थल पर सुरक्षित माहौल के मुद्दे पर चर्चा की गई|

इस बैठक का 'उद्देश्य' उन सिफ़ारिशो पर चर्चा करना था, जो पंचायत में चुनी गई महिला प्रतिनिधियों को कार्यस्थल पर सुरक्षा सुनिश्चित करा सकें | महिला प्रतिनिधि पंचायत में यह सुनिश्चित करती हैं कि गांव की सभी महिला हर तरह से सुरक्षित रहे, लेकिन ये महिला प्रतिनिधि अपने कार्यस्थल में खुद सुरक्षित नहीं हैं | मार्था फैरेल फाउंडेशन के फ़ेलोशिप की पुरस्कारी हर्शाली ने 2018 में महाराष्ट्र की महिला पंचायत सदस्यों के साथ एक रिसर्च किया जिसमें ये बातें निकल कर आई :

- पुरुष पंचायत सदस्य महिला प्रतिनिधियों के साथ बहुत ही अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं और गाली-गलौज करके बात करते हैं| साथ ही, हर एक बात पर उन्हें नीचा दिखाते हैं|
- गढ़चिरौली जिले के गांव की महिलाओं ने बताया कि पुरुष पंचायत सदस्य बेवजह महिला सदस्यों और प्रतिनिधियों को गलत तरीके से छूने की कोशिश करते हैं, और उन्हें असहज कर देने वाले सवाल पूछते हैं जैसे कि- "तेरा पति आज रात को घर पर है क्या?" "मेरे साथ बाहर चलेगी?"
- महिला सरपंचो ने यह भी बताया कि उन्हें जान से मारने के धमकी, रेप और एसिड अटैक की धमकी भी दी जाती हैं |
- महिला प्रतिनिधि और सदस्यों के साथ उनके कार्यस्थल यानी कि पंचायत में यौन उत्पीड़न अलग-अलग रूप में होता हैं जैसे कि उन पर भद्दी टिप्पणियां की जाती हैं , उनका पीछा किया जाता हैं , सीटी बजाया जाता है, गंदे चुटकुले सुनाए जाते हैं और बुरे इरादे से उन्हें छुआ जाता हैं|

इन बातों को ध्यान में रखते हुए , ऑनलाइन बैठक के दौरान इन बिन्दुओं पर मुख्य रूप से चर्चा हुई:

- पंचायत में महिला सदस्यों के साथ यौन उत्पीड़न के मामले की स्थिति क्या है?
- पंचायत में चुनी गई महिला प्रतिनिधि की सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लें ?
- कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से (रोकथाम ,बचाव ,निवारण) अधिनियम,2013 के आने के बावजूद भी, ये अब तक सही ढंग से पंचायतों में लागू क्यों नहीं हुआ है? और अगर इसको लागू करना है तो वह किस तरह से लागू किया जाना चाहिए?
- आतंरिक शिकायत समिति को कैसे सक्रिय बनाया जाए ?

अनुभव साझा: कुछ महिला सरपंचों ने अपने साथ हुए यौन उत्पीड़न के वारदातों को साझा किया और अपने अनुभवों को बयान किया |

महिला पंचायत सदस्य (जो महिला राजसत्ता आन्दोलन – RSCD की रीजनल कोऑर्डिनेटर भी है) ने बताया कि **"पंचायत की गतिविधियों के बारे में महिला सदस्यों को उतनी जानकारी नहीं होती है, इस वजह से उन्हें पुरुष सदस्यों के साथ मिलकर ही काम करना पड़ता है| इसी बात का फायदा पुरुष सदस्य**

उठाते हैं और काम के दौरान उन्हें अपनी हरकतों से असहज महसूस करवाते हैं।" इसके अलावा उन्होंने बताया कि **"पंचायत में शामिल महिलाओं को पारिवारिक तथा सामाजिक बंधनों का भी सामना करना पड़ता है, अगर महिला ब्लॉक पंचायत या जिला परिषद में किसी ट्रेनिंग के लिए जाती है तो उनके चरित्र पर सवाल उठाए जाते हैं ।"** उन्होंने अपने अनुभवों को भी साझा किया और कहा कि **"जब मैं सरपंच सदस्य थी , तब पंचायत के पुरुष सदस्य मुझे फोन करके अश्लील बातें करने की कोशिश करते थे।"** पंचायत सदस्य ने एक और घटना का जिक्र करते हुए बताया, **" मैंने अपने क्षेत्र में महिलाओं की हेमोग्लोबिन जांच के लिए कैंप लगाया था । उस कैंप में गांव की 100% महिलाएं शामिल थीं , कैंप बेहद सफल रहा तो इसी वजह से गांव के कुछ पुरुष सदस्यों ने यह अफवाह फैलाई कि सरपंच अक्सर बाहर जाती है और उन्हें एड्स जैसी बीमारी हो गई है इसलिए उन्होंने ब्लड जांच का कैंप लगवाया।"** इस घटना के बाद पंचायत सदस्य को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा था पर इसके बावजूद भी वह अपने काम के लिए डटी रहीं ।

अन्य महिला पंचायत सदस्य ने बताया, **"जब मैं सरपंच थी तो अक्सर मुझे लोग घूर कर देखते थे और डराते थे।"** उन्होंने यह भी बताया कि **"भले ही कुर्सी पर कोई महिला सरपंच बैठी हो पर उनकी कुर्सी ही उनके लिए बहुत असुरक्षित है।"**

पूर्व महिला सरपंच ने बताया कि **"महिला पंचायतों के साथ अलग-अलग प्रकार के यौन उत्पीड़न के वारदात होते रहते हैं जैसे कि भद्दी टिप्पणियां , रेप को लेकर धमकियां ,शारीरिक ढंग से छूना, गंदी नजर से देखना।** इसके अलावा उन्होंने अपने अनुभव को भी साझा किया और कहा, **"जब मैं चुनाव के लिए खड़ी हुई थी तो मेरे घर पर भी हमला किया गया था और साथ ही विपक्ष के पार्टी वालों ने पूरे गांव में पर्ची बांटी थी, जिसमे लिखा था कि मैं एक वैश्या हूँ और एक वैश्या को सरपंच बनाना ठीक नहीं है।"**

सोनी ग्राम पंचायत की माजी सरपंच ने बताया कि **"मेरे साथ ग्राम सभा में अन्याय हुआ । भरी सभा में मुझ पर हाथ उठाया गया। मैंने पुलिस में शिकायत की पर उसका कोई समाधान नहीं निकला।"**

अन्य माजी सरपंच ने बताया कि **"पंचायतों में औपचारिक ढंग से महिलाओं के साथ हुए यौन उत्पीड़न के लिए शिकायत करने की सिस्टम नहीं है। अगर कोई महिला शिकायत करने के लिए हिम्मत जुटाती भी है तो उसे बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है ।"**

इसके अलावा चुनी गई महिला प्रतिभागयों ने यह भी बताया कि उनके साथ महिला होने के कारण तो अलग-अलग प्रकार के यौन उत्पीड़न होते ही हैं पर अगर वह महिला किसी निचली जाति से है तो उनका शोषण और ज्यादा होता है ; उनके साथ भेदभाव किया जाता है और उन्हें गंदी गालियां दी जाती है । सरपंच होने के बावजूद भी उन्हें जमीन पर बिठाया जाता है उनकी पावर की कोई इज्जत नहीं की जाती हैं।

पूरे चर्चा के दौरान यह निकल कर आया कि चुनी गई महिला प्रतिनिधि अपने पंचायत में असुरक्षित महसूस करती है और उनके आवाज उठाने का भी कोई जरिया मौजूद नहीं है ।

चर्चा के अंत में कुछ सिफारिशें जो सामने निकल कर आई, वे इस प्रकार से है:

1. पंचायत में चुनी गई महिला प्रतिनिधियों की ट्रेनिंग होनी चाहिए । उनको उनके अधिकारों के बारे में बताना चाहिए। इंडक्शन की प्रक्रिया होनी चाहिए और जो भी उनसे संबंधित पॉलिसी बनी है ,वे लिखित रूप में मौजूद होने चाहिए ।

2. प्रत्येक वर्ष पंचायत द्वारा गांव में सेफ्टी ऑडिट होनी चाहिए| जिसमें महिलाएं, बच्चें और पंचायतों के सुरक्षा के स्तर को मापा जाना चाहिए और उसके आधार पर सुरक्षा सम्बन्धी योजनाएं बनानी चाहिए|
3. पुरुषों में महिलाओं के प्रति इज्जत होनी चाहिए और इसके लिए पुरुषों को जेंडर संवेदनशील बनाना बहुत अनिवार्य है | 'ज्योति बाय जागृति' माध्यम जैसे योजनाओं द्वारा पुरुषों को जेंडर संवेदनशील बनाया जा सकता है|
4. महिला राजसत्ता आन्दोलन के कैंपेन के तहत सरपंच की महिलाओं द्वारा '**महिला राज्य सत्ता सुरक्षा विधेयक'** बनाया गया , जिसमें पंचायतों में सुरक्षा की कमी के बारे में बताया गया| इस सुरक्षा विधेयक को सरकार द्वारा सभी पंचायतों में असरदार तरीक़े से लागू कराना चाहिए |
5. महिलाओं को यौन उत्पीड़न से सुरक्षा और बचाव के लिए आतंरिक समिति का ढांचा मौजूद तो है पर वह सक्रिय नहीं है| आतंरिक समिति को सक्रिय बनाना और समिति के सदस्यों का प्रसिक्षण करना चाहिए |
6. गांव में महिलाओं के लिए पंचायत की ऑफिस का समय **वुमन फ्रैंडली** होना चाहिए|
7. पंचायत कार्यालयों में महिला कर्मचारियों की संख्या बेहद कम है इसीलिए चुनी गई महिला प्रतिनिधि जब कार्यालय जाती है तो पुरुष उन्हें तंग करते हैं | पंचायत के कार्यालयों में भी महिला कर्मचारियों की संख्या ज्यादा हो, ये भी सुनाश्चित करना अनिवार्य हैं |
8. महिलाओं की सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण पहलू शौचालय की सुविधा है जो कि कई ग्राम पंचायतों में मौजूद नहीं है| पंचायत में महिलाओं के लिए अपने बच्चों को दूध पिलाने का कक्ष मौजूद नहीं है| इन सुविधायों को भी पंचायतों में सुनिश्चित कराना चाहिए|
9. **'पंचायत महिला सहायता केंद्र'** हर गांव में मौजूद होना चाहिए जहां महिला सरपंच या अन्य महिला पंचायत सदस्य जाकर आसानी से शिकायत दर्ज कर सकें|